रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2222] नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 4, 2012/कार्तिक 13, 1934

No. 2222] NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 4, 2012/KARTIKA 13, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2012

का.आ. 2674(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: इस घोषणा को, कि असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौडी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विक्षुब्ध क्षेत्र' रहेंगे, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, समय-समय पर बढ़ाया गया था।

और यत: असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।

(ii) जनवरी से सितम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 120 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 3 सुरक्षा कार्मिकों सहित 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।

(iv) अरुणाचल प्रदेश के भीतर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश के लोहित, चांगलांग तथा तीरप जिलों, जिन्हें यह गुट म्यांमार में स्थित बेस कैम्पों में जाने तथा वहां से आने के लिए घुसपैठ करने और असम में विद्रोह-रोधी कार्रवाई से बचकर भाग निकलने के लिए अस्थाई ट्रांजिट कैम्पों तथा शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल करता है, में यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असोम (उल्फा) की मौजूदगी देखी गई है।

(v) हाल ही में, यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असोम (वार्ता-विरोध) [उल्फा (ए टी)] गुट तथा यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (यू पी डी एफ)- अरुणाचल आधारित एक नवजात गुट के बीच अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ असम में संयुक्त रूप से अभियान चलाने हेतु एक ऑपरेशनल गठजोड़ उभरा है।

(vi) गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए) तथा कारबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (के पी एल टी) जैसे भूमिगत गुटों द्वारा मेघालय के साथ लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी एन एल ए, विशेषकर पश्चिम खासी हिल्स जिले में, उल्फा (ए टी) को बंगलादेश, मेघालय के सीमावर्ती गारो हिल्स जिलों में सुरक्षित पनाह देने/बेस की स्थापना करने में मदद कर रहा है।

अत: अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 (1958 का 28) के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विक्षुब्ध क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इस धारा को इससे पहले हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन. ई. IV]

डॉ. एम. सी. मेहानाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2012

S.O. 2674(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.

ii) During the period January to September 2012, the Under Ground Outfits were involved in 120 incidents of violence in Assam which resulted in killing of 19 persons including 3 security personnel.

iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturbed the administrative system and extort from the people.

iv) The areas falling in the 20 kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed the presence of United Liberation Front of Asom (ULFA) in Lohit, Changlang and Tirap Districts of Arunachal Pradesh which the outfit uses for infiltration from/exfiltration in-to its base camps in Myanmar and for temporary transit camps and shelter while on move to escape Counter Insurgency operation in Assam.

v) Recently, an operational alliance has emerged between United Liberation Front of Asom (Anti-Talk) [ULFA (AT)] faction and United People's Democratic Front (UPDF), an Arunachal based nascent outfit to operate jointly in Arunachal Pradesh as well as in Assam.

vi) The bordering areas of Assam with Meghalaya are being used by Under Ground outfits like Garo National Liberation Army (GNLA) and Karbi People's Liberation Tigers (KPLT). The GNLA, particularly in West Khasi Hills District, is facilitating the ULFA (AT) in establishing safe shelter/base in Bangladesh, bordering the Garo Hills Districts of Meghalaya.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) upto one year beyond 3.11.2012, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE. IV]

Dr. M. C. MEHANATHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.